

# नगर परिषद, श्री गंगानगर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SHRI GANGANAGAR/FIRENOC/2023-24/20082  
जारी दिनांक: 14-DEC-2023

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: BALRAJ JAKHAR  
आवेदक का पता: 11 LNP UDYOG VIHAR, SRIGANGANAGAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SARASWATI SHIKSHAN SADAN, SQ. NO. 24, HANUMANGARH ROAD, 11 LNP UDYOG VIHAR SRIGANGANAGAR, , SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. भवन में मानव सुरक्षा फायर सेफ्टी प्रिवेशन प्रोटेक्शन की व्यवस्था सही होने चाहिए ..भवन के सभी अग्निशमन उपकरण कार्यशील अवस्था में होने चाहिए
2. से एक वर्ष हेतु मान्य होगा, एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी
3. कोई भी नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य ह
4. यदि राज्य सरकार या नगर परिषद् भवन में अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है भविष्य में कोई भी नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा
5. भवन के समस्त स्टाफ को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा
6. अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सके, इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा
7. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे
8. यह अग्निशमन प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा
9. अग्निशमन उपकरण समावधि में रिफिल करवाना होगा
10. भवन में अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है
11. फायर सिस्टम चलाने हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे
12. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा
13. अग्निशमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार भवन में अगर अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य नहीं करती हैं तो किसी अनैतिक अग्नि दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं की होगी

अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद, श्री गंगानगर